[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड **(i)** में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना संख्या 46/2018- सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 13 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. (अ). जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "फ्लैट बेस स्टील व्हील्स" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) और जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उप शीर्ष 8708 70 के अंतर्गत आते हैं, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 03/2013-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 26 मार्च, 2013 जिसे सा.का.नि. 194 (अ), दिनांक 26 मार्च, 2013 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के अनुपालन में अधिसूचना संख्या 7/1/2018-डीजीएडी, दिनांक 08 फरवरी, 2018, जिसे 08 फरवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था के तहत रिव्यू को शुरू किया था और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार इस प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा की है ।

और जहां कि केन्द्र सरकार ने विषयगत देश में मूलत: उत्पादित और वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की अवधि को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिनियम संख्या 15/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 22 मार्च, 2018 जिसे सा.का.नि. 246 (अ), दिनांक 22 मार्च, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत 25 मार्च, 2019, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, बढ़ा दिया है;

और जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विषयगत देश में मूलत: उत्पादित और वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा करने के मामले में अधिसूचना संख्या फाइल संख्या 7/1/2018-डीजीएडी, दिनांक 09 अगस्त, 2018, जिसे दिनांक 09 अगस्त, 2018 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्ष में इस निर्णय पर पहुंचें हैं कि

(क) यदि प्रतिपाटन शुल्क को खत्म कर दिया जाता है तो विषयगत वस्तुएं भारतीय बाजार में पाटित मूल्य पर पहुंचने लगेंगी ;
(ख) यदि वर्तमान प्रतिपाटन शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो इससे घरेलू उद्योग की स्थिति बिगड़ सकती है ।
(ग) विषयगत देश से फालतू आयात के कारण घरेलू उद्योग के कामकाज पर बुरा असर पड़ सकता है । अत: प्रतिपाटन शुल्क को और आगे भी जारी रखने की जरूरत है; और

उन्होंने विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के सभी संबंधित आयात पर □□□□ वर्ष की अवधि तक के लिए प्रतिपाटन शुल्क की संशोधित दर को जारी रखने की सिफारिश की है ।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उपर्युक्त निष्कर्षों

और सिफारिशों के आधार पर एतद्द्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उप शीर्ष के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है, कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट निर्यातकों से निर्यातित है और भारत में आयातित है पर कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार तथा कॉलम (10) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में तथा कॉलम (8) में निर्दिष्ट तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर निश्चयात्मक प्रति□पाटन शुल्क लगाती है, यथा -

क्र.सं.	उप शीर्ष	वस्तु का विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क की राशि	माप इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	8708 70	फ्लैट बेस स्टील व्हील्स्, 16 इंच से 20 इंच तक के मामूली व्यास वाले	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	कोई भी	613.00	मैट्रिक टन	अमे. डॉ.
2.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न कोई भी देश	कोई भी	कोई भी	613.00	मैट्रिक टन	अमे. डॉ.
3.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	कोई भी	613.00	मैट्रिक टन	अमे. डॉ.

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से □□□□ वर्ष की अवधि तक लागू रहेगा ।

3. इस अधिसूचना के अंतर्गत लागू प्रतिपाटन शुल्क का भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

(फाइल संख्या 354/10/2007-टीआरयू (पार्ट-II))

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार